

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा विभाग में व्याख्याता (सहायक आचार्य) के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रसं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	श्री मनमोहन शर्मा, राउमावि सवाईमाधोपुर	संस्कृत	02.12. 1986	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1(23-15) RPSC/ Appt/ HRD/2017/4643/ दिनांक 05.10.2018

विभाग छोड़ने के पश्चात जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उनका वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। यदि कार्मिक निर्वाचन कार्य में नियुक्त हैं तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एनओसी/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक :- 12-10-18

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0-1/II)
5. संबंधित संस्था प्रधान, को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यमुक्ति की सूचना शाला दर्पण पर दर्ज करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/संस्थापन सी-2. (ओएसी प्रभाग)
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर ::

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय हिन्दी/संस्कृत में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता हिन्दी को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	प्रवीण कुमार जोशी, राशमी – चित्तौड़गढ़	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18
2	अंजू सांगवा, सुजानदेसर बीकानेर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4646 दिनांक- 05/10/18
3	हरिराम, के.जी. झिरोता अजमेर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18
4	राजपाल सिंह शेखावत, सफेडबडी नागौर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18
5	रामभरोसी बैरवा, बिलौनाकलां दौसा	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18
6	सन्देश गौतम, बा0 बस्ती जयपुर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18
7	कपिल देव कुण्डारा, परबैणी अलवर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18
8	गणपत लाल, आसरलाई पाली	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-05) RPSC/ Appt/HRD/2017/4638 दिनांक- 05/10/18

विभाग छोड़ने के बाद वर्तमान धारित पद पर स्थाईरूप से कार्यरत होने वाले कार्मिकों का नियमानुसार दो वर्ष तक लियन रहेगा। साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति पश्चात ही कार्यमुक्त की कार्यवाही अमल में लावे एवं विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिंडेल)

आईएएस

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/कार्यमुक्ति/2018

दिनांक:- 11.10.2018

1. रजिस्ट्रार राजस्थान विवि. जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं वृष्टि शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6. संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
7. संबंधित मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
8. संबंधित जिशिअ (मा0)
9. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
10. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर